संख्या- 155 /2024/आर0एफ0-75/नौ-9-2024/004-E-1754590

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गोरखपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या- 88/2023/2581/002-ई-1754590, दिनांक 30.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में "रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण फेज-2" के कार्यस्थल पर "आर0सी0सी0 कवर एवं 33 एवं 11 के0वी0ए0 हाइटेन्शन तार की शिफ्टिंग" कराये जाने के कार्य हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर निगम, गोरखपुर को रू0 559.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 279.84 लाख अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-130/2024/44/नौ-9-2024/034-ई-1754590, दिनांक 06.02.2024 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 164.33 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-314/चार-सा0नि0वि0/2023-24, दिनांक-06.03.2024 द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर निगम, गोरखपुर को तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि प्रथम किश्त की धनराशि के समायोजन उपरांत **रू0 115.51 लाख (रूपये एक करोड़ पंद्रह लाख इक्यावन हजार मात्र)** अनुदान संख्या-37, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त व्यय चालू वितीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-**191- नगर निगम निकायों** को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) शासनादेश संख्या-88/2023/2581/002-ई-1754590, दिनांक 30.11.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि नगर आयुक्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तभी तृतीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही तृतीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,15,51,000 (रूपये एक करोड़ पंद्रह लाख इक्यावन हजार मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037** लेखा शीर्षक **6215021910500** पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
15.03.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 155 /2024/आर0एफ0-75/नौ-9-2024/004-E-1754590, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
8. वित(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,
15.3.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/03/2024

प्रेषण संख्या:- 155
आवंटन आदेश संख्या:- 001-155-2024-RF75-9-9-2024-004-E-1754590
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11551000 411324000	11551000 411324000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11551000 411324000	11551000 411324000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख इक्यावन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्तालीस करोड़ तेरह लाख चौबीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव